



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 / 06 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 07-11-2024

श्रीमती शीतल पुत्री श्री प्यार चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव धार ब्रहमपुरी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्री मुनादी.—आम जनता वासी गांव धार ब्रहमपुरी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया श्रीमती शीतल पुत्री श्री प्यार चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 23-12-1986 को गांव धार ब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया शीतल पुत्री श्री प्यार चन्द के जन्म दिनांक 23-12-1986 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 07-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 07/BT/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बली राम, निवासी गांव थलाकन, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बली राम, निवासी गांव थलाकन, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 19-01-1965 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बली राम, निवासी गांव थलाकन, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि 19-10-1965 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 08/B/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

सरस्वती राणा पुत्री स्व0 श्री भेखा राम, निवासी गांव घरना, डा0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सरस्वती राणा पुत्री स्व0 श्री भेखा राम, निवासी गांव घरना, डा0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 20-03-1964 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया सरस्वती राणा पुत्री स्व0 श्री भेखा राम, निवासी गांव घरना, डा0 घरना की जन्म तिथि 20-03-1964 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/B/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

पवन कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव ठम्वा, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी पवन कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव ठम्वा, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 25-02-1976 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत छिलगा के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत छिलगा के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असागतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी पवन कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव ठम्वा, डा0 खुण्डियां की जन्म तिथि 25-02-1976 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत छिलगा के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 10/B/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

चैचला देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया चैचला देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-05-1967 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया चैचला देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डा0 खुण्डियां की जन्म तिथि दिनांक 09-05-1967 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14/C/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

कुलदीप राणा पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव फरेहडा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कुलदीप राणा पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव फरेहडा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल फरेहडा व धार चौकी, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम कुलदीप सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में प्रार्थी का नाम कुलदीप राणा दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुलदीप राणा उपनाम कुलदीप सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम कुलदीप राणा उपनाम कुलदीप सिंह, निवासी गांव फरेहडा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल फरेहडा व धार चौकी के राजस्व अभिलेख में कुलदीप राणा उपनाम कुलदीप सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 15/C/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

उधम सिंह पुत्र जैन्ता, निवासी गांव टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी उधम सिंह पुत्र जैन्ता, निवासी गांव टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम उधम सिंह दर्ज हो गया है जबकि बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम उधो राम दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम उधो राम उपनाम उधम सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम उधो राम उपनाम उधम सिंह, निवासी गांव टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला के राजस्व अभिलेख में उधो राम उपनाम उधम सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Nitish Sharma age 31 years s/o Sh. Hari Chand Sharma, r/o V.P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Priya Thakur aged 30 years d/o Mr. Vijay Thakur, r/o Village Gojra, P.O. Khakhnal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Nitish Sharma r/o V.P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh. Nitish Sharma age 31 years s/o Sh. Hari Chand Sharma, r/o V.P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Priya Thakur aged 30 years d/o Mr. Vijay Thakur, r/o Village Gojra, P.O. Khakhnal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Nitish Sharma, r/o V.P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 21-10-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court within 30 days from the publication of this notice. In case no objection is received it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and same will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of this court on 21st day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate-cum-
Marriage Officer, Manali, District Kullu (H.P.).*

ब अदालत विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी ग्राम बिगरोली, डा0 बौहर, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी ग्राम बिगरोली, डा0 बौहर, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|------|---------|------------|
| 1. | आंचल | पुत्री | 10-10-2010 |

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत बौहर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती सरीता मखरान पत्नी श्री राजेन्द्र मखरान, निवासी मखरालडी, डा0 केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती सरीता मखरान पत्नी श्री राजेन्द्र मखरान, निवासी मखरालडी, डा0 केदी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|------------|---------|------------|
| 1. | ऋजुल मखरान | पुत्र | 11-06-2007 |

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत

करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कायाकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती रीतू पत्नी श्री मुकद, निवासी ग्राम कीमा चन्द्रावली, डा0 केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती रीतू पत्नी श्री मुकद, निवासी ग्राम कीमा चन्द्रावली, डा0 केदी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|-----|---------|------------|
| 1. | ऋषभ | पुत्र | 23-01-2020 |

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या बकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कायाकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री लोकिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम व डा0 मधाना, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री लोकिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम व डा0 मधाना, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|-------|---------|------------|
| 1. | मानवी | पुत्री | 01-12-2020 |

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत मधाना को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री परमा नन्द पुत्र श्री दया राम, निवासी ग्राम खखरौना, डा0 बौहर, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री परामा नन्द पुत्र श्री दया राम, निवासी ग्राम खखरौना, डा0 बौहरा, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|-----|---------|------------|
| 1. | अजय | पुत्र | 15-10-2010 |

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत बौहर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

काशम दीन पुत्र श्री अली शेर, निवासी ग्राम शामठा, डा0 टिककरी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री काशम दीन पुत्र श्री अली शेर, निवासी ग्राम शामठा, डा0 टिककरी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|---------|---------|------------|
| 1. | इस्माइल | पुत्र | 15-12-2014 |
| 2. | आयशा | पुत्री | 16-01-2016 |

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत चईजन को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

मोहम्मद यामीन पुत्र श्री इलम दीन, निवासी ग्राम बीड़ी, डा0 ग्याह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी मोहम्मद यामीन पुत्र श्री इलम दीन, निवासी ग्राम बीड़ी, डा0 ग्याह, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसनी अपने पुत्रियों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मानू-भाविया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मानू-भाविया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है:

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|-------------|--------|---------|------------|
| 1. | सलमा | पुत्री | 25-12-2013 |
| 2. | राबिया | पुत्री | 20-08-2015 |
| 3. | आतिका | पुत्री | 08-12-2016 |
| 4. | आबिदा | पुत्री | 16-06-2019 |

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत मानू-भाविया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

In the Court of Sh. Bhanu Gupta HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Sh. Ravi Kumar aged about 56 years s/o Late Sh. Keshwa Nand, r/o 117/2, Krishna Nagar near Cart Road Shimla-171001, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Poonam Sharma aged about 50 years d/o Sh. Narinder Kumar, r/o Village Malpur Arkan, Tehsil Nawanshahr, District SBS Nagar, Punjab.

Versus

General Public

Subject.—*Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.*

Sh. Ravi Kumar aged about 56 years s/o Late Sh. Keshwa Nand, r/o 117/2, Krishna Nagar Near Cart Road Shimla-171001, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Poonam aged about 50 years d/o Sh. Narinder Kumar, r/o Village Malpur Arkan, Tehsil Nawanshahr, District SBS Nagar, Punjab have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 19-01-1995 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 27-11-2024 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 28th October, 2024.

BHANU GUPTA HPAS,
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती दीना देवी पुत्री श्री किशन सिंह, निवासी काण्डो कत्याड़, डा0 जमटा, ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती दीना देवी पुत्री श्री किशन सिंह, निवासी काण्डो कत्याड़, डा0 जमटा, ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 19-05-1974 (पुत्री श्री किशन सिंह एवं श्रीमती कमला देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती दीना देवी पुत्री श्री किशन सिंह, निवासी काण्डो कत्याड़, डा0 जमटा, ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 19-05-1974 ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती दसोधी देवी पुत्री श्री नारायण दास, निवासी आम्बवाला, डा0 सैनवाला, ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती दसोधी देवी पुत्री श्री नारायण दास, निवासी आम्बवाला, डा0 सैनवाला, ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 18-02-1953 (पुत्री श्री नारायण दास एवं श्रीमती शिव देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती दसोधी देवी पुत्री श्री नारायण दास, निवासी आम्बवाला, डा0 सैनवाला, ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि

18-02-1953 ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रामानन्द पुत्र स्व0 श्री नेतर सिंह, निवासी गांव व डा0 सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री रामानन्द पुत्र स्व0 श्री नेतर सिंह, निवासी गांव व डा0 सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 18-02-1949 (पुत्र श्री नेतर सिंह एवं श्रीमती जुमो देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत पँजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री रामानन्द पुत्र स्व0 श्री नेतर सिंह, निवासी गांव व डा0 सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-02-1949 ग्राम पंचायत पँजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री भीम सिंह पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी गांव दयुडी, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री भीम सिंह पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी गांव दयुड़ी, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री निशा की मृत्यु तिथि 29-09-2018 (पुत्री श्री भीम सिंह एवं श्रीमती कान्ता देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत बिक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री भीम सिंह पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी गांव दयुड़ी, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की पुत्री निशा की मृत्यु तिथि 29-09-2018 ग्राम पंचायत बिक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती लाजवन्ती पुत्री श्री ईन्दर सिंह (पत्नी श्री रामेश्वर दास) निवासी गांव बलसार, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती लाजवन्ती पुत्री श्री ईन्दर सिंह (पत्नी श्री रामेश्वर दास) निवासी गांव बलसार, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 15-04-1970 (पुत्री श्री ईन्दर सिंह एवं श्रीमती चिंतो देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती लाजवन्ती पुत्री श्री ईन्दर सिंह (पत्नी श्री रामेश्वर दास) निवासी गांव बलसार, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-04-1970 ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री शिवराम, निवासी गांव जोगीबन, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री शिवराम, निवासी गांव जोगीबन, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1963 (पुत्र श्री शिवराम एवं श्रीमती कला देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री शिवराम, निवासी गांव जोगीबन, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1963 ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रमजान अली पुत्र श्री फकरु दीन, निवासी भेड़ो, डा0 व ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री रमजान अली पुत्र श्री फकरु दीन, निवासी भेड़ो, डा0 व ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी बेटी ऐमन खातून (पुत्री श्री रमजान अली एवं श्रीमती कादिर बागो) की जन्म तिथि 11-11-2020 है, जोकि ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री रमजान अली पुत्र श्री फकरु दीन, निवासी भेड़ो, डा0 व ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की बेटी ऐमन खातून (पुत्री श्री रमजान अली एवं

श्रीमती कादिर बागो) की जन्म तिथि 11-11-2020 ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री सोमनाथ पुत्र श्री आभा राम, निवासी टेड़ी बरोटी, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री सोमनाथ पुत्र श्री आभा राम, निवासी टेड़ी बरोटी, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1969 (पुत्र श्री आभा राम एवं श्रीमती रसीली) है, जोकि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री सोमनाथ पुत्र श्री आभा राम, निवासी टेड़ी बरोटी, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1969 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सवन राम, निवासी क्यारी, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री नरेन्दर सिंह पुत्र श्री सवन राम, निवासी क्यारी, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 04-02-1970 (पुत्र श्री सवन राम एवं श्रीमती ईन्दरा देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री नरेन्दर सिंह पुत्र श्री सवन राम, निवासी क्यारी, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 04-02-1970 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती ईन्दरा देवी पुत्री श्री केशोराम (पत्नी श्री सुरजन सिंह) निवासी गांव टरोली, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती ईन्दरा देवी पुत्री श्री केशोराम (पत्नी श्री सुरजन सिंह) निवासी गांव टरोली, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 12-09-1967 (पुत्री श्री केशो राम एवं श्रीमती दयावन्ती देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती ईन्दरा देवी पुत्री श्री केशोराम, निवासी गांव टरोली, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 12-09-1967 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती लता देवी पुत्री श्री साधूराम (पत्नी श्री लक्ष्मी सिंह) निवासी गांव जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। जन्म स्थान पता—गांव नैरो, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पुत्री श्री साधूराम (पत्नी श्री लक्ष्मी सिंह), निवासी गांव जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। जन्म स्थान पता—गांव नैरो, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 02-07-1976 (पुत्री श्री साधूराम एवं श्रीमती उर्मिला देवी) है, जोकि ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पुत्री श्री साधूराम (पत्नी श्री लक्ष्मी सिंह) निवासी गांव जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। जन्म स्थान पता—गांव नैरो, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 02-07-1976 ग्राम पंचायत कौलावालाभुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री राधे श्याम पुत्र स्व0 श्री बल बहादुर थापा, निवासी मकान नं0 132/12, कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री राधे श्याम पुत्र स्व0 श्री बल बहादुर थापा, निवासी मकान नं0 132/12, कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 28-11-1942 (पुत्र श्री बल बहादुर एवं श्रीमती पार्वती देवी) है, जोकि नगर पालिका परिषद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 20-11-2024 को प्रातः 10.00

बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री राधे श्याम पुत्र स्व० श्री बल बहादुर थापा, निवासी मकान नं० 132/12, कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 28-11-1942 नगर पालिका परिषद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 23-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं० : 07/2024

दायर तिथि : 17-05-2024

रण सिंह पुत्र मोही राम, निवासी ग्राम कोटा पाब, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी रण सिंह पुत्र मोही राम, निवासी ग्राम कोटा पाब, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा कोटा, परिवार नकल ग्राम पंचायत कोटा पाब, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयकर प्रमाण-पत्र, बैंक खाताप्रति व निर्वाचन पहचान पत्र प्रति सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोटा पाब में रतनू उर्फ रणीया पुत्र मोही राम दर्ज हो गया है जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ। जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपना नाम जोकि मुताबिक उपरोक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोटा पाब में रतनु उर्फ रणीया पुत्र मोही राम की जगह सही नाम रण सिंह पुत्र मोही राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 09 / 2024

दायर तिथि : 28-05-2024

खुशी राम पुत्र सबला, निवासी ग्राम अप्पर धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी खुशी राम पुत्र सबला, निवासी ग्राम अप्पर धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत पोक्का, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा कोटगा काण्डो, आधार कार्ड, आयकर प्रमाण-पत्र व निर्वाचन पहचान पत्र प्रति सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका अपना का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सतौन में खुशिया पुत्र सबला दर्ज हो गया है जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपना नाम जोकि मुताबिक उपरोक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सतौन में खुशिया पुत्र सबला की जगह सही नाम खुशी राम पुत्र सबला दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 12 / 2024

दायर तिथि : 17-05-2024

श्री मितर सिंह पुत्र रण सिंह, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री मितर सिंह पुत्र रण सिंह, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-758, दिनांक 25-04-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कोटा पाब, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत कोटा पाब एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम कनिका कुमारी एवं जन्म तिथि 18-09-2017 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। कनिका कुमारी की माता का नाम बिजरा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री मितर सिंह पुत्र रण सिंह, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 13/2024

दायर तिथि : 17-05-2024

श्री खजान सिंह पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री खजान सिंह पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-759, दिनांक 25-04-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत सतौन, प्रधान ग्राम पंचायत सतौन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत सतौन, जमाबन्दी मौजा पौक्का एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी की माता का नाम सुरपा एवं मृत्यु तिथि 15-01-2015 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी माता की मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। सुरपा देवी के पति का नाम सोभा राम है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है

निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी खजान सिंह पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 15 / 2024

दायर तिथि : 17-05-2024

श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-761, दिनांक 25-04-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कोटा पाब, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत कोटा पाब व कुंहुट एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई है कि उसकी पुत्री का नाम रीना एवं जन्म तिथि 02-10-2003 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। रीना की माता का नाम बिजरा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 16 / 2024

दायर तिथि : 17-05-2024

श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-762, दिनांक 25-04-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कोटा पाब, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत कोटा पाब एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम निशा देवी एवं जन्म तिथि 05-05-2017 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। निशा देवी की माता का नाम बिजरा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 17 / 2024

दायर तिथि : 17-05-2024

श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-763, दिनांक 25-04-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कोटा पाब, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत कोटा पाब एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम कार्तिक एवं जन्म तिथि 06-05-2019 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। कार्तिक की माता का नाम बिजरा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 18/2024

दायर तिथि : 17-05-2024

श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-764, दिनांक 25-04-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कोटा पाब, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत कोटा पाब एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम सोहन सिंह एवं जन्म तिथि 06-08-2015 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। सोहन सिंह की माता का नाम बिजरा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है

निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री दया राम पुत्र बारू राम, निवासी ग्राम क्याना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 21/2024

दायर तिथि : 01-07-2024

श्रीमती सोरतो दुत्री कानू राम, निवासी ग्राम माटला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सोरतो दुत्री कानू राम, निवासी ग्राम माटला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-1450, दिनांक 15-05-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत शावगा, परिवार नकल, निर्वाचन पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया का नाम सोरतो देवी एवं जन्म तिथि 01-01-1972 है, अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शावगा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। सोरतो देवी की माता का नाम श्रीमती नोमी देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र सोरतो दुत्री कानू राम, निवासी ग्राम माटला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 22 / 2024

दायर तिथि : 01-07-2024

श्रीमती लीला देवी पुत्री उदय राम, निवासी ग्राम माशू, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती लीला देवी पुत्री उदय राम, निवासी ग्राम माशू, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2023-2141, दिनांक 27-05-2024 द्वारा मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत माशू व जामना, आंगनबाड़ी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, निर्वाचन पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया का नाम लीला देवी एवं जन्म तिथि 01-01-1974 है, अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत माशू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। लीला देवी की माता का नाम श्रीमती मैना देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र लीला देवी पुत्री उदय राम, निवासी ग्राम माशू, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री सतीश कुमार पुत्र जसपाल, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

व

श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री कशमीरी लाल वासी दवखेड़ा लोअर, डा0 अजौली, जिला रोपड़ (पंजाब)

बनाम

आम जनता

इशतहार मुश्ट्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र जसपाल, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी शादी दिनांक 29-09-2019 को श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री कशमीरी लाल, वासी दवखेड़ा लोअर, डा0 अजौली, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है। लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्री मुनादी इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07-11-2024 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा उसके बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और उक्त शादी पंजीकरण करने के लिए सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 04-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Sonia Sen w/o Sh. Vikas Choudhary aged 42 years, r/o Village Kaned, P.O. Ghiana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that in my son Shashwat's School record my & my husband name is wrongly entered as Sonia & my husband name is Vikas Chaudhary whereas our correct name is Sonia Sen & Vikas Choudhary. Kindly correct our name in our son's school record with immediate effect.

SONIA SEN
w/o Sh. Vikas Choudhary,
r/o Village Kaned, P.O. Ghiana Kalan,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gitan Devi w/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Bakroa, P.O. Bhager, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Geeta to Gitan Devi for all purposes in future. All concerned please note.

GITAN DEVI
w/o Sh. Roshan Lal,
r/o Village Bakroa, P.O. Bhager,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Poonam Sharma w/o Sh. Tilak Raj Sharma, r/o Village Muthan Bhalwalan, P.O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Poonam Devi to Poonam Sharma for all purposes in future. Please note.

POONAM SHARMA
w/o Sh. Tilak Raj Sharma,
r/o Village Muthan Bhalwalan,
P.O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Karan Singh Sharma s/o Sh. Budhi Ram, Village & P.O. Rei, Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Karan Sharma in educational record of my son Saksham Sharma. My correct name is Karan Singh Sharma. Concerned please note.

KARAN SINGH SHARMA
s/o Sh. Budhi Ram, Village & P.O. Rei,
Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.)